संख्या-318/2017/2317/22-2-2016-17(253)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लू पुत्र श्री नजीरूद्दीन निवासी जनपद-इलाहाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लू पुत्र श्री नजीरूद्दीन, निवासी-कोइली गढही, थाना-मऊ आइमा, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। गांव में नौटंकी देखते समय इनाम देने एवं नौटंकी देख रही औरतों की ओर टार्च मारने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19/20.01.1983 को रात्रि लगभग 11:45 बजे चाकू से मारकर 04 वयक्तियों की हत्या तथा कई व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.01.1998 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.1999 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.11.2016 तक 18 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2014 को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि गांव में नौटंकी देखते समय इनाम देने एवं नौटंकी देख रही औरतों की ओर टार्च मारने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19/20.01.1983 को रात्रि लगभग 11:45 बजे चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने तथा कई व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी लल्लू पुत्र श्री नजीरूद्दीन को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लल्लू (बन्दी संख्या-4494/98) पुत्र श्री नजीरूद्दीन, निवासी जनपद-इलाहाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-318/2017/2317(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।